

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति पत्रांक प.7 (34) शिक्षा-2/2018-20 जयपुर दिनांक- 09.09.20 द्वारा निम्नांकित 02 तदर्थ पदोन्नत व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) जो डीपीसी/पीएससी से चयनित हुये है की तदर्थ पदोन्नति से चयन की अवधि के नियमितकरण/अभिवृद्धि हेतु कार्योत्तर स्वीकृति (पदोन्नति अवधि में उनकी सेवानिवृति दिनांक अथवा नियमित डीपीसी से चयनित होने तक ,में से जो भी पहले हो) राजस्थान लोक सेवा आयोग से प्राप्त पत्रांक एफ. 12(3)वृद्धि/शिक्षा-2/पार्ट-11/2012-13/221 दिनांक 26.08.2020 के द्वारा प्राप्त कार्योत्तर स्वीकृति के अनुसरण में जारी की जाती है:-

क्र.सं.	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)	विषय	जन्मतिथि	तदर्थ पदोन्नति आदेश क्रमांक व दिनांक	डीपीसी/आरपीएससी वर्ष	सेवानिवृति तिथि
1	सत्यव्रत यादव, प्रधानाचार्य, राउमावि,सुहागपुरा, प्रतापगढ	जीव विज्ञान	14.02.1961	शिविरा-माध्य/संस्था/सी-3(बी)/11026/90 दिनांक-05.02.1990	तदर्थ पदोन्नति 1990-91	28.02.2021
2	श्री राजेश कुमार पूनिया, प्रधानाचार्य, राउमावि, किशोरपुरा	भौतिक विज्ञान	16.02.1966	शिविरा-माध्य/संस्था/सी-3/ए/11001/90-91 दिनांक-22.11.1990	तदर्थ पदोन्नति 1990-91	28.02.2026


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 21/09/2020

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-8/पेंशन आक्षेप/2012/पार्ट-11/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- शासन उप सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक/प्रारंभिक)।
- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक।
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
- संबंधित प्राध्यापक द्वारा संस्था प्रधान।
- निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर